न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 96/2011

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखलाल पुत्र सुगाल जाति घांची निवासी अणदावालो का बास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		1. मांगीलाल पुत्र सुगाल 2. पानी देवी पत्नि भीकाराम जातियान घांची निवासीगण अणदावालो का बास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत, जिला पाली (राज0)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री ताराचंद भाटी व देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता मय वादी स्वयं उपस्थित।
2. श्री आनन्द भाटी अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

–ः निर्णय :– दिनांक– 01.11.2017

अधिवक्ता मय वादीगण ने दिनांक 07.12.2011 को संशोधित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत सिटी चक नं0 1 में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 के पिता तथा प्रति0 सं0 2 के ससुर सुगालराम पुत्र मोती की हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि रिवाईज सेटलमेंट के पूर्व पुराने ख0नं0 222/1, 221/4, 221/7 व 221/8 कुल किता 4 रकबा पौने आठ बीघा एक बिस्वा किस्म चाही स्थित है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि वादी के पिता के नाम की खातेदारी, हक, हकूक, कब्जाकाश्त की स्थित है। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारी ने उक्त कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर 2334, 2335, 2336, 2337, 2340, 2341, 2376, 2377 व 2381 कुल किता 09 रकबा 1.29 हैक्टर चा0प्र0 स्थित है। उक्त खसरान की भूमि में ख0नं0 2377 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि गलती से वादी के पिता के खाते मे आने से पुनः खींवाराम पुत्र चौथाराम के खाते में आपसी सहमति से दे दी गई। इस प्रकार वादी के पिता के पास 1.24 है0 भूमि रही। वादी के पिता का स्वर्गवास के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन सं0 428 दि0 24.04.80 के जरिये स्व0 सुगालराम के वारिसान वादी, प्रति0सं0 1, प्रति0सं0 2 के पति के नाम का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। तत्पश्चात् उपरोक्त खसरान की भूमि में आपसी सहमति से निम्न प्रकार से राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग भूमि दर्ज की गई। वादी के खाते में ख0नं0 2355 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 2340 रकबा 0.16 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि व ख0नं0 2334 रकबा 0.15 हैक्टर में तीसरा हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम 0.36 है0 भूमि इन्द्राजसुदा है। प्रति0 सं01 के खाते में 2337 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 2341 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 2334 रकबा 0.15 है0 का तीसरा हिस्सा यानि 0.05 है0 कुल 0.44 है0 भूमि इन्द्राजसुदा है। इसी प्रकार प्रति0सं0 2 के खाते में ख0नं0 2336 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 2376 रकबा 0.14 है0 व ख0नं0 2334 रकबा 0.15 है0 का तीसरा हिससा यानि 0.05 है0 कुल 0.39 है0 इन्द्राज हुई। प्रति0 सं0 2 द्वारा ख0नं0 2376 को विक्रय कर दिया गया है। मौके पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 0.40 है0 भूमि में कब्जाकाश्त खातेदारी अलग होने के पश्चात् से आज

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

दिन तक मौकें पर चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का भी 0.40 है0 भूमि में कब्जा काश्त खातेदारी अलग होने के पश्चात से आज दिन तक मौकें पर चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का भी 0.40 है0 भूमि में ही कब्जाकाश्त है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 के खाते में कब्जा काश्त के अलावा राजस्व रेकर्ड में 0.04 है0 भूमि ज्यादा दर्ज हो गयी है, जो मौका स्थिति के विपरीत है। वादी के हिस्से की 0.04 है0 भूमि प्रति0सं0 1 के खाते में दर्ज ख0नं0 2337, 2341 में वादी की 0.04 है0 भूमि आती है। मौकें पर ख0नं0 2341, 2334, 2335 व 2336 चार खसरान की भूमि के बराबर तीन हिस्से किये हुए है। मौके पर पिछले 35 वर्षो से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात में वादी का निर्बाध, बिना किसी रोकटोक के, खुल्मखुल्ला शांतिपूर्वक कब्जा काश्त 0.40 है0 भूमि में चला आ रहा है। इस प्रकार वादी प्रतिवादी सं0 1 के ख0नं0 2337 रकबा 0.21 है0 एवं ख0नं0 2341 रकबा 0.18 है0 भूमि में से 0.04 है0 भूमि कम करवाकर अपने खाते में उक्त भूमि का इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। वादी का मौके पर पिछले 35 वर्षो से भी अधिक समय से खुल्लमखुला निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा चला आने से वादी वादस्थ भूमि में 0.40 है0 भूमि का एडवर्स पजेशन के आधार पर भी 0.40 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है, एवं वादी 0.04 है0 भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। ख0नं0 2334 रकबा 0.15 है0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रति0सं0 2 के बहिस्सा बराबर इन्द्राजसुदा है तथा वादी का उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा हक, हकूक खातेदारी का आता है। मौके पर खातेदारी सामलाती होने से हर समय माठ, पाली का झगड़ा रहता है। मौकें पर उक्त खसरे की वादी के हिस्से के 0.05 है0 भूमि वादी के खातेदारी की भूमि ख0नं0 2335 के चिपते आई हुई है यानि मौके पर वादी के हिस्से की भूमि 2335 मे शामिल होकर माठ, पाली की हुई है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में भूमि सामलाती अंकित है। इस खसरा नम्बर 2335 रकबा 0.15 है0 में वादी का 1/3 हिस्सा माप व सीमाकंन से बंटवाड़ा करवाकर वादी का हिस्सा 0.05 है0 भूमि अलग से वादी के खाते में वादी दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद सही करवाकर 0.04 हैक्टर भूमि वादी के खाते में इन्द्राज करवाने व ख0नं0 2334 सामलाती होने से बंटवाड़ा का कहने पर दि0 10.06.2011 को साफ इंकार हो गये तथा ऐलानिया कहा कि बंटवाड़ा का कहा तो पूरी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। प्रति0सं0 1 ने ख0नं0 2337 की भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये एवं नियमो की धज्जियां उड़ाते हुये मौकें पर निर्माण कार्य चालू कर दिया है, जो निर्माण कार्य अवैधानिक हो रहा है तथा वाद के दौरान निर्माण हो जाने से वादी के जो रकबा कम दर्ज हुआ है उसे पुनः सुधार करने में भारी बाधा पैदा होगी एवं वादी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रति0सं0 1 को खातेदारी की भूमि को संपरिर्वतन करवाये बिना नष्ट करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। दौराने दावा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकारका निर्माण या बेचान, बक्शीश, हस्तान्तरण को कोई अधिकार प्राप्त नही है यदि प्रतिवादीगण निर्माण या हस्तान्तरण करने में सफल हो जाते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। वादी प्रति0 सं0 1 के विधि विरूद्व कृत्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी है। अतः यह वाद घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है। ख0नं0 2334 सामलाती होने तथा उसके बंटवाड़े का होने से प्रति0 सं0 3 तहसीलदार सोजत आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनायदावा वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के खातेदारी की होने से तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग अलग खातों मे इन्द्राज हो जाने से एवं दिनॉक 06.06.2011 को प्रति0सं0 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देने से, वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

पर दिनांक 10.06.2011 को सर्वप्रथम राजस्व रेकर्ड में कम भूमि अंकित होने की जानकारी होने एवं प्रतिवादी को कहने पर साफ इंकार कर देने से बमुकाम सोजत सिटी पैदा हुआ जो अंदर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद डिकी किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहे तथा प्रति0 सं0 1 ओर से दिनॉक 27.06.2011 को श्री आनन्द भाटी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं दिनॉक 05.07.2011 को ज0दा0 पेश किया, नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा दि0 11.07.2011 को प्रा0 पत्र 06 R17 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत हुआ, का जवाब प्रा0 पत्र दिनॉक 26.07.2011 को प्रस्तुत किया गया तथा बहस प्रा0 पत्र सुनी जाकर दिनॉक 03.08.2011 को विधिक सुनवाई पश्चात् स्वीकार किया गया। अधिवक्ता वादी ने दिनॉक 07.12.2011 को संशोधित वाद पेश किया, जिसका ज0दा0 निर्धारित समयावधि मे नही करने पर ज0दा0 बन्द किया गया। दिनॉक 23.05.2013 को तनकियात कायम कर संलग्न पत्रावली किया गया। दिनॉक 29.05.2013 से लगातार अनेकानेक अवसर अधिवक्ता वादी को शहादत वादी पेश करने के अवसर दिये गये। दिनॉक 18.04.2017 को आवश्यक सुनवाई का प्रा0पत्र मय राजीनामा तहरीरी पेश किया, सामिल मिसल किया। दिनॉक 01.11.2017 को वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 पक्षकार द्वारा प्रस्तुत तहरीर राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दिनॉक 01.11.2017 को अधिवक्ता वादी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी पेश किया कि प्रतिवादी सं0 2 पानीदेवी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही चाहरखी है तथा प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध वादी किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहता है। जिससे प्रतिवादी सं0 2 को वाद–पत्र से डिलीट किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार उक्त प्रा0पत्र पेश कर प्रति0 सं0 2 को वाद–पत्र से स्ट्रक आऊट किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है तथा प्रति0सं0 2 का नाम स्ट्रक आऊट कर वाद–पत्र से प्रति0 सं0 2 पक्षकार को हटाया जाता है। दिनॉक 18.04.2017 को वादी एवं प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा राजीनामा पेश किया जिसे दिनॉक 01.11.2017 को तस्दीक किया है, के अनुसार वादी के खाते में 0.0400 हैक्टर भूमि रेकर्ड में कम दर्ज की थी तथा प्रतिवादी मांगीलाल के खाते में 0.0400 हैक्टर भूमि अधिक दर्ज है, जबकि मौके पर दोनो पक्षकार 0.4000 है0 भूमि पर काबिज है, लेकिन रेकर्ड में प्रतिवादी के खाते में 0.4400 है0 व वादी के खाते में 0.3600 है0 भूमि दर्ज है, इस पर दोनों पक्षकारान राजी होकर रेकर्ड में 0.0400 है0 भूमि प्रतिवादी द्वारा वादी के रेकर्ड में सुधार हेतु अपनी शामलाती ख0नं0 2334 रकबा 0.1500 है0 में से प्रतिवादी के हिस्से में से रकबा 0.0400 है0 दर्ज करवाने हेतु सहमत हो गये है तथा बंटवाड़े हेतु भी दोनो पक्षकारान सहमत है। प्रस्तुत तहरीरी राजीनामा दिनॉक 01.11.2017 को तस्दीक किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया है। इसी अनुसार वाद डिकी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा दिनॉक 01.11.2017 अनुसार वाद डिकी किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जुबाब बहस में अधिवक्ता प्रति0 ने भी माफिक राजीनामा तस्दीकसुदा अनुसार वाद डिकी किये जाने की स्वीकारोक्ति की है। बंटवाड़ा की ईश्तदुआ अधिवक्ता वादी नही चाहते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा राजीनामा तस्दीकसुदा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। उभय पक्षों की माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा दिनॉक 01.11.2017 स्वीकारोक्ति/सहमति वाद डिक्री किया जाना तथा चूँकि वादी के खातें में 0.3600 हैक्टर भूमि दर्ज है, जिससे वादी के रेकर्ड सुधार हेतु शामलाती खसरा नम्बर 2334 रकबा 0.1500 हैक्टर में से प्रतिवादी के हिस्सें में से रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक तस्दीकसुदा राजीनामा दिनॉक 01.11.2017 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक । में स्थित खसरा नम्बर 2334 रकबा 0.1500 हैक्टर में से प्रतिवादी के हिस्से में से रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली) राज.

निर्णय आज दिनॉक 01.11.2017 दूसरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली) राज.

Scanned by CamScanner